कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या /दो–प्रा0डी0–/नार0 आयात प्रा0पत्र /2018–19/दिनांक:अगस्त 01 ,2018

कार्यालय ज्ञाप

समस्त जिला आबकारी अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः– नारकोटिक औषधियों के आयात हेतु आयात प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 स्वापक औषधि नियमावली 1986 के नियम 48 (1) (2) के अन्तर्गत नारकोटिक औषधियों के आयात हेतु आयात प्राधिकार पत्र आबकारी आयुक्त द्वारा निर्गत किये जाने का प्रावधान है। नारकोटिक औषधियों के आयात प्राधिकार पत्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु निम्न बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है:–

1. आवेदक का नाम तथा पता।
2 आवेदक के पास नारकोटिक औषधियां रखने के लिए एन0डी0एल0सी0 अनुज्ञापन का अद्यतन नवीनीकृत होना अथवा उ0प्र0 नारकोटिक ड्रग्स रूल्स 1986 के नियम– 8 (1) के अन्तर्गत किसी सरकारी संस्थान अथवा अस्पताल आदि को नारकोटिक औषधि संचय करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाये।
3. नारकोटिक औषधियों का नाम तथा मात्रा जिनका आयात किया जाना है तथा उक्त औषधियों के आयात का उद्देश्य इंगित किया जाये।
4. निर्यातक इकाई का नाम तथा स्पष्ट पूर्ण पता अंकित किया जाये।
5. ईकाई द्वारा पूर्व में आयात की गयी नारकोटिक औषधियों की प्राप्ति तथा बिक्री का सत्यापित विवरण प्रस्तुत किया जाये ।
6. आबकारी निरीक्षक द्वारा स्पष्ट आख्या दी जाये कि पूर्व में दवाओं की बिक्री डॉक्टर के पर्चे पर तथा जैनूइन क्रेताओं को की गयी है।
7. आवेदक के पास एन0डी0एल0सी0 अनुज्ञापन के अन्तर्गत संचित नारकोटिक औषधियों तथा आयात की जाने वाली औषधियों में सक्रिय नारकोटिक की मात्रा 50 ग्राम से अधिक न हो।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार नारकोटिक औषधियों के आयात हेतु प्राप्त आवेदनों के बिन्दुवार परीक्षणोपरान्त अपनी स्पष्ट आख्या/संस्तुति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही जिले के समस्त एन0डी0एल0सी0 अनुज्ञापियों को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार सूचित करें।

(अ0म0त्रिपाठी)
अपर आबकारी आयुक्त,
(लाइसेसिंग एवं औद्यो0 विकास)
उत्तर प्रदेश।

संख्या 2498-2521 /दो–प्रा0डी0/ नारकोटिक आयात–निर्यात/2018–19/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स,उ0प्र0।
2. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार, उ0प्र0।

31.7.18
(अ0म0त्रिपाठी)
अपर आबकारी आयुक्त,
(लाइसेसिंग एवं औद्यो0 विकास) उ0प्र0।
उत्तर प्रदेश।